

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 21, शक 1940

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्रमांक/एफ-2 (5)/2018/48/सं.का. — छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उद्धृत की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत कुमार पहारे, सचिव.

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक 11033/रास./2018. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की विद्यमान विधान सभा का आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 से विघटन करती हूँ।

हस्ता./—
(आनंदीबेन पटेल)

RAJBHAWAN
RAIPUR

Raipur, the 12th December 2018

NOTIFICATION

No. 11033/RS/2018. — In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I Anandiben Patel, Governor of Chhattisgarh, hereby, dissolve the existing Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh from 12th day of December, 2018.

Sd/-
(Anandiben Patel)